UPPB040143152026

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।

राजेश चन्द्र अरविन्द बनाम जयसूरी व अन्य

प्रकीर्ण प्रा०–पत्र संख्या–1457/2026
अन्तर्गत धारा–173(4)बी०एन०एस०एस०
थाना–बीसलपुर, जनपद– पीलीभीत।

दिनांक 10.08.2026

1– पत्रावली आदेश हेतु नियत होकर पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र अन्तर्गत धारा–173(4)बी०एन०एस०एस० पर उनके विद्वान अधिवक्ता को पूर्व नियत तिथि पर सविस्तार सुना जा चुका है।

2– प्रार्थना–पत्र एवं समस्त संलग्न प्रपत्रों का अवलोकन किया।

3– संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में यह अभिकथित किया है कि प्रार्थी ने उ०प्रा०वि० भडरिया वि०खं० बीसलपुर जिला पीलीभीत (उ०प्र०) में कार्यरत जयसूरी प्र०अ० उपरोक्त विद्यालय में 10 वर्षों से कार्यरत है। प्रार्थी ने विद्यालय के विकास सम्बन्धी लेखा जोखा आय व्यय व मिड डे मील व विद्यालय के विकास के लिए गत वर्षों आंयी धनराशि लगभग अनुमानित 4000000/–रूपये (चालीस लाख रूपये) के घोटाले व हेराफेरी कूटरचित बिल सम्बन्धी भुगतान की जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना खण्ड शिक्षा अधिकारी बीसलपुर के कार्यालय से सूचना मांगी थी। प्रार्थी ने उक्त जनसूचना दिनांक 04.11.2024 को पंजीकृत डाक नं0–8285002923569 को कार्यालय भेजी थी जिसमें पोस्टल आर्डर फीस 10/–रू० अदा की थी जिसका नम्बर–64 एफ–223508 से भेजी थी। इस बात की जानकारी कार्यालय में कार्यरत लिपिक दीपांशु सक्सेना उर्फ नीरज ने जयसूरी प्र०अ० को दी व सहायक खण्ड शिक्षा अधिकारी डॉ० हर्षित शर्मा की मिली भगत से मनगढंत त्रुटिपूर्ण फर्जी सूचनायें दी गयी जिसके क्रम में दोनों लोगों की मिली भगत से दि० 24.11.2024 को थाना बीसलपुर में मु0 अ 0 सं0–569/2024 धारा–305 ए बी०एन०एस० जयसूरी द्वारा पंजीकृत करवा दिया गया। विद्यालय में चोरी की घटना गत माह दिनांक 21.10.2024 को दिखा दी। थाना बीसलपुर की पुलिस ने सांठ गांठ करके उक्त घोटाले की जाँच न हो पाये इसलिए मुझे सूचना न देकर एफ०आई०आर० लिखवा दी गयी। समस्त सामान चोरी चला गया। थाना बीसलपुर पुलिस ने एफ०आई०आर० की जॉच न करके आपस में बंदरबांट करके लगभग 4000000/–रूपये का घोटाला कर आपस में बांट लिंया है। उपरोक्त मुकदमे के विवेचक श्री हसमत अली ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी। जो माननीय न्यायालय जे०एम० महोदय बीसलपुर में एफ०आर० लम्बित है जिसमें तारीख 28.07.2026 नियत है। प्रार्थी जब खण्ड शिक्षा अधिकारी बीसलपुर में सूचना प्राप्त करने गया तो दिनांक 02.07.2026 को समय करीब दोपहर के 2.00 बजे जयसूरी वहाँ मौजूद थी। उनके साथ दो अन्य लोग थे, जिन्हे सामने आने पर पहचान लूंगा, मुझे जान से मारने की धमकी देकर गंदी गंदी गालियाँ देकर मुझे अपमानित करने लगे। जब मैं जोर से चिल्लाया तो उक्त लोग मौके से भागे। भागते समय कह रहे थे कि अगर मेरे विद्यालय की सूचना मांगी तो तुझे व तेरे परिवार को जान से मार देगें व तुझे झूठे मुकदमें में फंसा दूंगी जिससे गम्भीर परिणाम भुगतने पडेगें। प्रार्थिनी ने थाना बीसलपुर में एक प्रार्थनापत्र. दिया परन्तु कोई कार्यवाही नही हुई तत्पश्चात प्रार्थी ने दिनांक 08.07.2026 को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से एक प्रार्थनापत्र श्रीमान पुलिस अधीक्षक पीलीभीत को दिया परन्तु उस पर भी कोई कार्यवाही न होने पर प्रार्थी माननीय न्यायालय की शरण में आने को विवश हुआ है। अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि जयसूरी प्र०अ०, भडरिया, वि०खं० बीसलपुर व सहायक खण्ड शिक्षा अधिकारी डॉ० हर्षित शर्मा व लिपिक दीपांशु सक्सेना के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने हेतु थानाध्यक्ष बीसलपुर को आदेशित करने की कृपा करें।

4– उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी द्वारा व्यवहार पंजिका व अन्य अभिलेख की छायाप्रति तथा रजिस्टर्ड डाक संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है।

5– प्रार्थना–पत्र के साथ थाने की आख्या संलग्न है। थाने की आख्या के अनुसार प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। उक्त प्रकरण के संबंध में थाना हाजा के अभिलेखों के अवलोकन से किसी अभियोग का दर्ज होना नहीं पाया गया है।

6– उपरोक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित घटना के संदर्भ में जिलाधिकारी, पीलीभीत के माध्यम से प्रारम्भिक जांच आख्या आहूत की गयी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पीलीभीत की आख्या के अनुसार उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यदि शिकायतकर्ता सम्बंधित द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से संतुष्ट न होने की स्थिति में नियमानुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी के यहाँ जनसूचना से सम्बंधित बिन्दुओं पर पुनः सूचना की मांग की जानी चाहिए थी परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा ऐसा नही किया गया। साथ ही अवगत कराना है कि विद्यालय में

Digitally signed by MANGALDEV SINGH
Date: 2026.08.11 10:20:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दिनांक 21.10.2024 को चोरी की घटना घटित हुयी थी जिसकी सूचना सम्बंधित थाने को दी गयी किन्तु विद्यालय में चोरी सम्बन्धी एफ०आई०आर० दिनांक 24.11.2024 में थाने द्वारा दर्ज की गयी (साक्ष्य हेतु प्रति संलग्न)। शिकायतकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बीसलपुर में सूचना प्राप्त करने गया तो गाली–गलौज एवं मारने की धमकी देने जैसे आरोप लगाये गये हैं, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि तत्समय एवं दिनांक 01.07.2026 को खण्ड शिक्षा अधिकारी बीसलपुर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत के पत्र सं० बेसिक/अधि०/3510–13/2026–27 दिनांक 30.06.2026 के अनुपालन में शिक्षा निदेशक बेसिक उ०प्र० लखनऊ में उपस्थित थे और उनके द्वारा उक्त आयोजित बैठक में प्रतिभाग किया। कार्यालय मे कार्यरत् विद्याभूषण पंत (क०स०), अवधेश कुमार (कार्या० सहा०) एवं शशांक प्रताप सिंह (कम्प्यूटर ऑपरेटर), रमेश चन्द्र व कृष्ण अवतार चतुर्थ श्रेणी कर्म० और हरीश कुमार राजीव सिंह चौहान सर्वेश कुमार (आधार ऑपरेटर) अपने पटल से सम्बंधित कार्यों का निर्वहन कर रहे थे और सम्बंधित कार्मिकों द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 02.07.2026 को शिकायतकर्ता राजेश चन्द्र अरविन्द कार्यालय में आये ही नहीं थे ना ही ऐसी कोई घटना कार्यालय में घटित हुई और अपना पृथक–पृथक लिखित अभिकथन भी प्रस्तुत किया है। निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आया है कि शिकायतकर्ता राजेश चन्द्र अरविन्द पुत्र श्री हरीश चन्द्र एवं जयसूरी इं०प्र०अ० कम्पो० वि० भड़रिया के मध्य पारिवारिक विवाद है, जिस कारण एक–दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप करते रहते हैं श्रीमती जयसूरी द्वारा शिकायतकर्ता राजेश चन्द्र अरविन्द के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में जी०डी० संख्या–118/2004 मुकदमा पंजीकृत है जिसके सम्बन्ध में सम्बंधित शिक्षिका द्वारा लिखित अभिकथन भी प्रस्तुत किया है। जांच के दौरान शिकायत के सभी बिन्दुओं के परिशीलन से पाया गया कि शिकायतकर्ता (राजेश चन्द्र अरविन्द) द्वारा लगाये गये आरोपों की पुष्टि श्री हर्षित शर्मा खण्ड शिक्षा अधिकारी बीसलपुर एवं विद्याभूषण पंत (क०स०), अवधेश कुमार (कार्या० सहा०) एवं शशांक प्रताप सिंह (कम्प्यूटर ऑपरेटर), रमेश चन्द्र व कृष्ण अवतार चतुर्थ श्रेणी कर्म० और हरीश कुमार, राजीव सिंह चौहान, सर्वेश कुमार (आधार ऑपरेटर) द्वारा उपलब्ध कराये गये लिखित अभिकथन/ब्यान के आधार पर नहीं होती है। यहाँ यह भी उल्लेख करना समाचीन होगा कि श्री राजेश चन्द्र अरविन्द एवं श्रीमती जयसूरी इं०प्र०अ० कम्पोजिट विद्यालय भड़रिया के मध्य आपसी पारिवारिक विवाद होने के कारण एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं और काल्पनिक घटना के माध्यम से मानसिक प्रताड़ना की मंशा से प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

7– सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

8– आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में यह कथन किया है कि उसे जन सूचना अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना न देकर विद्यालय में हुए सरकारी धन के घोटाले को लेकर मिलीभगत करके विपक्षीगण ने मु०अ०सं०–569/2024, धारा–305A बी.एन.एस., थाना बीसलपुर पंजीकृत करवा दिया जिसमें विवेचक द्वारा अन्तिम रिपोर्ट लगा दी जो न्यायालय बीसलपुर में लम्बित है और जब वह खण्ड शिक्षा अधिकारी के यह सूचना प्राप्त करने के लिये गया तो उसे गंदी–गंदी गालियां देकर अपमानित किया। इस प्रकार आवेदक द्वारा जन सूचना उसके अनुरूप सूचना प्राप्त न होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करना दर्शित होता है। विपक्षीगण लोक सेवक द्वारा थाना बीसलपुर में स्वयं मुकदमा पंजीकृत कराया है जिसमें अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र से कोई भी संज्ञेय अपराध कारित होना दर्शित नहीं होता है। प्रार्थना पत्र असत्य आधारों पर दिया गया प्रतीत होता है। अतः तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–173(4)बी०एन०एस० एस० निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–173(4)बी०एन०एस०एस० निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल–दफ्तर हो।

दिनांक 10.08.2026

(मंगल देव सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पीलीभीत।
जे.ओ.कोड–यू.पी.1995